परिसर तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों से मुक्त नहीं है। जिन 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 275 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 235 जिले इन्डेमिक (स्थानिकमारी से ग्रस्त) हैं, जहां यह 10% से अधिक फैली हुई है। देश तथा साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ इन्टरनेशल काउंसिल फार कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिसिएन्सी डिसआर्डर्स के विशेषज्ञों ने आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों को रोकने, नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सस्ते तरीके के रूप में आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की सिफारिश की है। भारत सरकार ने सार्वजनिक हित में नेशनल आयोडीन डेफिसिएन्सी डिसआर्डस कंट्रोल प्रोगाम, जिसके अंतर्गत आयोडीनयुक्त नमक को आपति करना कार्यक्रम की मुख्य कार्य नीतियों में से एक है, को सारे देश में लागू करने का निर्णय किया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर पूरी रोक है, जबकि 2 राज्यों में इस पर आंशिक रूप से रोक है। केरल राज्य में इस पर कोई रोक नहीं है।

देश के विभिन्न भागों में घेघा तथा आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य खराबियों पर आयोडीनयुक्त नमक के प्रभाव के बारे में समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि पौषणिक आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों में उल्लेखनीय कमी आई है।

दालों के निर्यात पर रोक लगाया जाना

1440. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अक्तूबर, 1998 के अंत में सरकार द्वारा संबंधित विभाग को दालों के निर्यात पर रोक लगाने संबंधी सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दालों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबंध किस तारीख से लागू किया गया था?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) दालों सहित खाद्यान्नों की निर्यात-आयात नीति संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। वर्तमान निर्यात-आयात के अनुसार दालों का 5 किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैक में मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है। दालों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

Time-Limit for Adjudication of Complaints under Consumer Protection Act

1441. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the consumer protection Act, 1986 stipulates a time limit of 90 days for adjudication of complaints;

(b) if so, the details thereof;

(c) the percentage of cases filed before the district forums and state commissions which are disposed off within the stipulated time limit;

(d) whether the recommendations of the working group constituted in 1994 have been implemented; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) According to the provisions of the Consumer protection Act, 1986 and the Rules framed thereunder the State Commission and the district for a set up under the Act are required to dispose of complaints, as far as possible, within 90 days from the date of receipt of the Notice by the opposite party and within 150 days if it requires analysis or testing of the commodity in question. The National Commission is required to dispose of appeals, as far as possible, within 90 days from date of first hearing.

(c) As per the information made available by the States/UTs., 31% and 25% cases were disposed of within 90 days and